2999/2022

अंकित कुमार
ANKIT KUMAR
Stamp Vender Licence No.-0
Stamping ACC ID-UP144816
Teh.-Jaswantnagar (Etawah)

LOCKED

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP87523440254609U
Certificate Issued Date	:	06-Sep-2022 12:28 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14481604/ JASWANTNAGAR/ UP-EWH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14481604874684054255 47U
Purchased by	:	BHUVNESH CHANDRA SO BRIJESH CHANDRA AND OTHERS
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	COMMERCIAL BUILDING AND LAND MAUJA- SISHAT TAH.- JASWANTNAGAR DISTT.-ETAWAH U. P.
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	BHUVNESH CHANDRA SO BRIJESH CHANDRA AND OTHERS
Second Party	:	SHANTI DEVI MEMORIAL TRUST THOUGH SMT SANTOSHYADAV
Stamp Duty Paid By	:	BHUVNESH CHANDRA SO BRIJESH CHANDRA AND OTHERS
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	86,400 (Eighty Six Thousand Four Hundred only)

Please write or type below this line

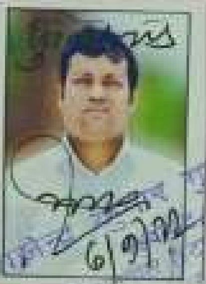

IN 0008344321

Statutory Alert:

 E-Stamp No- IN-UP87523440254609U

स्टाम्प– 86,400/-

किता– 6

वार्षिक किराया– 3,60,000/-

LEASE DEED

डॉ0 भुवनेश चन्द्र यादव व अनुज कुमार पुत्रगण श्री डॉ0 ब्रजेशचन्द्र यादव निवासीगण मु0– रेलमण्डी, कस्बा व तह0– जसवन्तनगर, इटावा, Mo-9412400001

लीजदाता (प्रथमपक्ष)

श्रीमती शान्ती देवी मेमोरियल ट्रस्ट, कचौरा रोड, जसवन्तनगर, इटावा द्वारा **प्रबन्धक श्रीमती सन्तोष यादव पत्नी श्री डॉ0 ब्रजेशचन्द्र यादव निवासी** ग्राम– जुगौरा, तह0– जसवन्तनगर, जिला– इटावा, **Mo- 9897209675**

लीजग्रहीता (द्वितीयपक्ष)

विदित हो कि प्रथमपक्ष **मौजा– सिसहाट, तह0– जसवन्तनगर**, इटावा स्थित भूमि एवं भवन जिसकी **भूमि सं0 713/4मि** है, के मालिक काबिज दखील हैं व हिनोज चले आ रहे है। प्रश्नगत भूमि एवं भवन जिसका कुल क्षेत्रफल **3246 वर्गमीटर** है। जो कि अकृषिक प्रयोजन में लाया जा रहा है। जिसकी वर्तमान सीमा पूरब में **रोड** व पश्चिम में **चौधरी सुघर सिंह इण्टर कॉलेज** व उत्तर में **खेत हरनरायन** व दक्षिण में **आराजी श्रीमती संतोष यादव** है। जिस पर प्रथमपक्ष का ही स्वामित्व व कब्जा दखल है। सिवाय प्रथमपक्ष के उक्त भूमि एवं भवन का अन्य कोई मालिक काबिज व हकदार नहीं है और कहीं रहन बन्धक व इकरारनामा आदि नहीं है। हम प्रथमपक्ष को उक्त भूमि एवं भवन के बाबत हर प्रकार के मालिकाना व

Scanned with AnyScanner

हस्तान्तरण व लीज आदि करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है और उक्त भूमि एवं भवन हर प्रकार के झगडे–झंझट आदि से पाक व साफ है। द्वितीयपक्ष उक्त भूमि एवं भवन को शिक्षण कार्य हेतु 30 वर्ष की लीज पर लेना चाहती है। द्वितीयपक्ष उक्त भूमि एवं भवन का किराया भी **3,60,000/–तीन लाख साठ हजार रूपया वार्षिक** पर ले रहे है। इस किराये के हिसाब से हम प्रथमपक्ष द्वारा उक्त भूमि एवं भवन को द्वितीय पक्ष को **30 वर्ष** की लीज पर दे देने से हम प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है। जिससे हम प्रथम पक्ष उक्त भूमि एवं भवन को द्वितीयपक्ष को 3,60,000/–तीन लाख साठ हजार रूपया वार्षिक किराये की दर से 30 वर्ष की अवधि के लिये लीज पर दे रहे है तथा द्वितीय पक्ष 30 वर्ष के लिये शिक्षण कार्य के लिये लीज पर ले रही है। जिसकी हम दोनो पक्षों में निम्नलिखित शर्तें तय हुई हैं जो कि निम्नलिखित प्रकार हैं :–

1. यह कि उक्त भूमि एवं भवन की लीज (किरायेदारी) दिनांक **07.09.2022** से शुरू होकर 30 वर्ष के लिये अथवा **06.09.2052** तक बराबर चलती रहेगी।
2. यह कि उक्त भूमि एवं भवन का किराया **3,60,000/– तीन लाख साठ हजार रूपया वार्षिक** तय हुआ है जिसे द्वितीयपक्ष, मुझ प्रथमपक्ष को हर साल अदा कर रसीद प्राप्त करते रहेंगे।
3. यह कि हम प्रथमपक्ष ने उक्त भूमि एवं भवन पर कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया है और द्वितीयपक्ष ने बहैसियत किरायेदार कब्जा प्राप्त कर लिया है।

Scanned with AnyScanner

4. यह कि किराये की धनराशि में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जायेगी।

5. यह कि द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह लीज पर लिये गये उक्त भूमि एवं भवन में शिक्षण कार्य के लिए भूमि एवं भवन का निर्माण करे तथा सरकारी शिक्षा संस्थानों के निर्देश व नियमों के अनुसार ही उक्त भूमि एवं भवन को शिक्षण कार्य के हित में प्रयोग करे। द्वितीय पक्ष उक्त भूमि एवं भवन को किसी अन्य प्रयोग में नही ला सकेगी।

6. यह कि द्वितीयपक्ष लीज पर लिये गये भूमि एवं भवन को अपने निजी प्रयोग में नहीं ला सकेगी। केवल श्रीमती शान्ती देवी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षा संस्था द्वारा शिक्षण कार्य के ही प्रयोग में ला सकेगी।

7. यह कि द्वितीयपक्ष द्वारा लीज पर लिये गये भूमि एवं भवन का किराया लगातार तीन वर्ष तक अदा न किये जाने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपना किराया द्वितीय पक्ष से वजाब्ता दीवानी प्राप्त कर ले इसमें मुझ द्वितीयपक्ष को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

8. यह कि द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह लीज पर लिये गये भूमि एवं भवन पर कराये जाने वाले निर्माण का नक्शा पास करावे, नल, बिजली कनैक्शन कराये, शिक्षण कार्य के लिए भूमि एवं भवन का निर्माण कराये व शिक्षण कार्य का संचालन करे, मगर अन्य किसी प्रकार के प्रयोग में नही ला सकेगी।

Scanned with AnyScanner

9. यह कि लीज की 30 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद दोनों पक्षो की सहमति से ही किरायेदारी आगामी वर्षों के लिये बढ़ाई जा सकेगी। जिसकी अलग से लीज डीड तैयार कराकर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

10. यह कि यदि द्वितीयपक्ष की संस्था उक्त भूमि एवं भवन पर शिक्षण कार्य बन्द कर देती है तो उक्त भूमि एवं भवन की लीज की अवधि समाप्त होने पर नवीनीकरण नही हो सकेगा एवं लीज निरस्त करने का अधिकार प्रथमपक्ष को रहेगा।

11. यह कि द्वितीयपक्ष उक्त भूमि एवं भवन में शिक्षण कार्य करने हेतु सरकारी शिक्षा संस्थानों से/सक्षम अधिकारी से विधिवत् मान्यता प्राप्त करे/अनुमति प्राप्त करे और शिक्षण कार्य संचालित करे इसमें हम प्रथमपक्ष को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

12. यह कि लीज पर लिये गये भूमि एवं भवन व उस पर कराये जाने वाले निर्माण पर लगने वाले समस्त प्रकार के टैक्स व बिजली बिल व टेलीफोन बिल आदि अदा करने की समस्त ज़िम्मेदारी द्वितीयपक्ष लीजगृहीता की होगी।

Scanned with AnyScanner

विलेख 58,59

आवेदन सं०: 202200836003218

बही सं०: 1	रजिस्ट्रेशन सं०: 2999	वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मज़मुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता: 1

श्री डॉ भुवनेश चन्द्र यादव, पुत्र श्री डॉ. ब्रजेश चन्द्र यादव

निवासी: मु०- रेलमंडी, क़स्बा व तह०- जसवंतनगर, जिला- इटावा

व्यवसाय: व्यापार

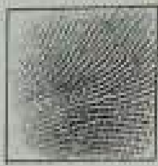

पट्टा दाता: 2

श्री अनुज कुमार, पुत्र श्री डॉ. ब्रजेश चन्द्र यादव

निवासी: मु०- रेलमंडी, क़स्बा व तह०- जसवंतनगर, जिला- इटावा

व्यवसाय: शिक्षक

पट्टा गृहीता: 1

श्रीमती शांती देवी मेमोरियल ट्रस्ट, कचौरा रोड द्वारा श्रीमती संतोष यादव, पत्नी श्री डॉ. ब्रजेश चन्द्र यादव

निवासी: ग्राम- जुगौरा, तह०- जसवंतनगर, जिला- इटावा

व्यवसाय: गृहिणी

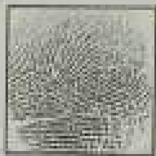

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री गौरव यादव , पुत्र श्री ऋषिपाल सिंह

निवासी: मु०- रेलमंडी, क़स्बा व तह०- जसवंतनगर, जिला- इटावा

व्यवसाय: व्यापार

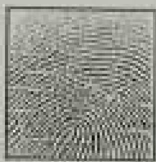

पहचानकर्ता : 2

श्री विपिन कुमार , पुत्र श्री रामशंकर

निवासी: मु०- रेलवे क्रासिंग के पास, जसवंतनगर, जिला- इटावा

व्यवसाय: व्यापार

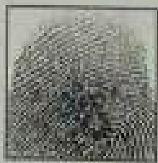

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

देवेन्द्र कुमार सक्सेना प्रभारी
उप निबंधक : जसवंतनगर
इटावा
06/09/2022

Scanned with AnyScanner

(6) **E-Stamp No- IN-UP87523440254609U**

अतः यह लीज डीड 30 वर्ष के लिये दोनो पक्षों ने अपनी–अपनी सहमति व सोच समझकर व अपने– अपने विवेक से तहरीर करा दी ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे।

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

गवाह– गौरव यादव पुत्र श्री ऋषिपाल सिंह निवासी मु0– रेलमण्डी, जसवन्तनगर, इटावा। मो0– 9759567209

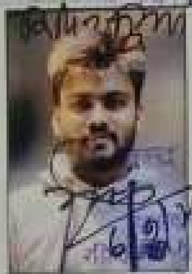

गवाह– विपिन कुमार पुत्र श्री रामशंकर निवासी मु0– रेलवे क्रॉसिंग के पास, जसवन्तनगर, जिला– इटावा। मो0– 8532002000

मसौदा एवं शिनाख्त राजेन्द्र कुमार गुप्ता एडवोकेट/नोटरी, जसवन्तनगर द्वारा किया गया तहरीर दिनांक 06.09.2022, दिन मंगलवार

राजेन्द्र कुमार गुप्ता
एडवोकेट/नोटरी
जसवन्तनगर (इटावा)
रजि0 नं0–2488 (भारत सरकार)
मो0–9412408833

Scanned with AnyScanner

आवेदन सं०: 202200836003218

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 2039 के पृष्ठ 373 से 384 तक क्रमांक 2999 पर दिनाँक 06/09/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

देवेन्द्र कुमार सक्सेना प्रभारी
उप निबंधक : जसवंतनगर
इटावा
06/09/2022

Scanned with AnyScanner